(वाद संख्या–**5479/17**)

20.12.2019

परिवादी, गोपाल सिंह, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है :–

दिनांक–25.06.2016 को परिवादी की 32 वर्षीया पत्नी, श्रीमती उषा देवी, दोपहर करीब 12:00 बजे दिन में रोजगार व घरेलू कार्य से जब कोशी नदी के किनारे स्थित लोकमानपुर गांव, अपने पड़ोसी की पुत्री, खुशबु, के साथ कोशी नदी (धार) के किनारे–किनारे जा रही थी, तभी अचानक कड़े मिट्टी का चट्टान दोनों के ऊपर गिर पड़ा, जिसमें दोनों दब गयी। कुछ पीछे रहने के कारण खुशबु को मिट्टी गिरने से साधारण चोट लगी, जबकि परिवादी की पत्नी उषा देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणो द्वारा जख्मी उषा देवी को वहां से निकाला गया तथा सर्वप्रथम उसे जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर निजी वाहन से इलाज हेतु पहुंचाया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज हेतु पटना स्थित निजी अस्पताल में भर्त्ती कराया गया। पटना स्थित निजी अस्पताल द्वारा परिवादी के पत्नी के इलाज के क्रम में अत्यधिक/सामर्थ्य से अधिक पैसा मांगने पर परिवादी अपनी घायल पत्नी को घर लेकर चला आया, जहां दिनांक–01.07.2016 को उसकी मृत्यु हो गयी। अपनी पत्नी की अस्वाभाविक/अप्राकृतिक मृत्यु पर परिवादी द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारियों के समक्ष अनुग्रह अनुदान देने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु कहीं से उसे मुआवजा नहीं मिला। परिवादी की ओर से अपनी पत्नी की अस्वभाविक/अप्राकृतिक मृत्यु के आधार पर अनग्रह अनुदान दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया है कि परिवादी की पत्नी, उषा देवी, दिनांक–25.06.2016 को कोशी नदी के किनारे से जब बाहर जा रही थी तो अचानक मिट्टी का चट्टान गिर जाने से ईलाज के दौरान दिनांक–01.07.2016 को उसकी मृत्यु हो गयी। लेकिन जिला पदाधिकारी, भागलपुर का कथन है कि मृतक की मृत्यु का अनुग्रह अनुदान, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के दिनांक–16.09.2016 के आलोक में उसे अनुग्रह राशि नहीं दिया जा सका।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, लोगमानपुर के मुखिया, श्रीमती विरमा देवी, उप सरपंच, श्रीमती सबिता देवी, पंचायत सचिव सदस्य, श्रीमती रंगीना देवी व शब्बी खातून ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोशी नदी के किनारे से बाहर जाने के क्रम में मिट्टी के चट्टान गिर जाने से,

मिट्टी के नीचे दबकर, परिवादी की पत्नी जख्मी हुई थी, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से मिट्टी खोदकर बाहर निकाला गया तथा तत्पश्चात उन्हें विभिन्न जगहों पर उसका ईलाज हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश दिनांक–01.07.2016 की रात्रि 9:00 बजे उसने दम तोड़ दिया तथा ग्रामीणों ने चंदा कर उक्त दुर्भाग्यशाली महिला का अन्तेष्ठि किया। उपरोक्त जन–प्रतिनिधियों का यह भी कथन है कि मृतक श्रीमती उषा देवी को दो लड़की एवं एक लड़का है तथा उसका पति गोपाल सिंह बहुत गरीब आदमी है तथा गरीबी के कारण वह अपने बच्चों का पालन करने में सक्षम नहीं है। उक्त जन–प्रतिनिधियों द्वारा उसे अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा की गयी है।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा समय–समय पर प्राकृतिक आपदाओं तथा गैर प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राहत/अनुग्रह राशि देने हेतु निर्देश दिया जाता रहा है तथा उन निर्देशों में अनुग्रह भुगतान हेतु कुछ शर्ते दी जाती रही है जिसमें प्राकृतिक व गैर प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में जिला पदाधिकारी को ही संतुष्ट होकर अनुग्रह राशि का भुगतान कर देने का निर्देश दिया गया है। प्रसंगाधीन मामले में जिस आधार पर परिवादी की पत्नी के अनुग्रह अनुदान (मुआवजा) की प्रार्थना को अस्वीकार किया गया है, वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थिति में परिवादी की पत्नी, श्रीमती उषा देवी, की अस्वभाविक/अप्राकृतिक मृत्यु तथा उसके परिवार, विशेष रूप से उसके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जिला पदाधिकारी, भागलपुर को यह अनुशंसा की जाती है कि, आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर, परिवादी की पत्नी श्रीमती उषा देवी के बाढ़ के दौरान अप्राकृतिक/अस्वाभाविक मृत्यु को देखते हुए उसे चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाना सुनिश्चित कर, भुगतान से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–05.02.2020 के पूर्व आयोग को समर्पित करें।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, फिर भी कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति परिवादी को सूचनार्थ एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें साथ ही साथ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना व प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर को भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक